रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 49] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 4, 1975/माघ 15, 1896

No. 49] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 4, 1975/MAGHA 15, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February 1975

S.O. 75(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to rule 12(1) of the Registration of Electors Rules, 1960, the Election Commission hereby extends upto and including the 12 February, 1975, the period within which a claim for the inclusion of a name or an objection to any entry, in the electoral rolls for the Delhi Sadar and Chandni Chowk Parliamentary Constituencies in the Union Territory of Delhi, shall be lodged.

[No. 23/DL/74]

By Order,

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1975

एस० ओ० 75 (अ).—निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम, 12 (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग उस कालावधि को जिसके भीतर दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में के दिल्ली सदर और चांदनी चौक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियों में नाम सम्मिलित किए जाने के लिये दावे या उसमें की किसी प्रविष्टि पर आक्षेप दाखिल किए जाएंगे, 12 फरवरी, 1975 तक जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है, एतद्द्वारा बढ़ाता है।

[सं० 23/दिल्ली/74]

आदेश से,

वी० नागसुब्रमण्यन, सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975